

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहिता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-58/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

हरेकृष्ण महतो बनाम सुरेश चन्द्र वगैरह

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता —

हरेकृष्ण महतो, पिता—स्व० गंगाधर महतो,
ग्राम—दानाडीह, पो०—दानाडीह, थाना—सोनाहातु,
जिला—राँची, (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती।

क्रेता का नाम एवं पता —

(1) सुरेश चन्द्र महतो, (2) गणेश कुमार, (3) रूपेश
कुमार महतो, पिता—स्व० चामु सिंह महतो,
ग्राम—बामलाडीह, पो०—बारेडीह, थाना—तमाड़,
जिला—राँची, (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम —

श्री दुर्योधन महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक—13/03/18 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा—46(i)b के तहत क्रेता (1) सुरेश चन्द्र महतो, (2) गणेश कुमार, (3) रूपेश कुमार महतो, पिता—स्व० चामु सिंह महतो, ग्राम—बामलाडीह, पो०—बारेडीह, थाना—तमाड़, जिला—राँची, (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैः—

भूमि की विवरणी

| मौजा | थाना | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| गोमेयाडीह | सोनाहातु | 59 | 99 | 27 | 03½ डी० |

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सोनाहातु से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्टेहारं भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, सोनाहातु का पत्रांक—165(ii) दिनांक—04/06/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :—

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम मोहन महतो वल्द पुरकु महतो कौम कुर्म है।
- (2) विक्रेता खतियानी रैयत के पोता लगते हैं।
- (3) पंजी—II के अनुसार रैयत का नाम मनसा राम महतो वगैरह है, तथा रैयत के पास कुल 3.05 एकड़ जमीन है।

8

- (4) विक्रेता जमाबंदी रैयत के पोता लगते हैं, तथा 1932 के सर्वे अनुसार जमाबंदी कायम है।
- (5) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म की है।
- (6) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2007–08 तक वसूली गयी है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास 3.00 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।
- (8) क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुर्मी जाति के सदस्य हैं।
- (9) क्रेता तमाड़ थाना एवं विक्रेता सोनाहातु थाना के निवासी हैं। एवं एक जिला के अन्तर्गत आते हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता हरेकृष्ण महतो, पिता-स्व० गंगाधर महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता (1) सुरेश चन्द्र महतो, (2) गणेश कुमार, (3) रूपेश कुमार महतो, पिता-स्व० चामु सिंह महतो, ग्राम-बामलाडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायांलय के द्वारा दिनांक-04/05/2018 को निर्गत आम सूचना का तामिल प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता हरेकृष्ण महतो, पिता-स्व० गंगाधर महतो, ग्राम-दानाडीह, पो०-दानाडीह, थाना-सोनाहातु, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती, को क्रेता (1) सुरेश चन्द्र महतो, (2) गणेश कुमार, (3) रूपेश कुमार महतो, पिता-स्व० चामु सिंह महतो, ग्राम-बामलाडीह, पो०-बारेडीह, थाना-तमाड़, जिला-राँची, (झारखण्ड) जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

| मौजा | थाना/थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|-----------|---------------|----------|-----------|----------|
| गोमेयाडीह | सोनाहातु/59 | 99 | 27 | .03½ डी० |

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहता।

बुण्डू।

भूमि सुधार उप समाहर्ता।

बुण्डू।